राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प. 32 (बी) (146) आब /एल/2005 – 06/3297 दिनांकः 28.01.2006

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों के लिये सूचना

राज्य के समस्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के रिटेल ऑफ (कम्पोजिट दुकानों को छोडकर) अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2005 – 06 में अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं शर्तों की शर्त संख्या 2 के अनुसार अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2005 – 06 में जारी अनुज्ञापत्र को वर्ष 2006 – 07 हेतु नवीनीकृत कर सकने का विकल्प निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है :–

1. नवीनीकरण हेतु आवेदन, सादे कागज पर, समस्त भागीदारों की ओर से, **दिनांक 10. 02. 2006 को 3.00 पी. एम. तक**, किसी भी कार्य दिवस में, **संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में, प्रस्तुत किया जा सकेगा ।**
2. आवेदन के साथ **वार्षिक लाईसेंस फीस** (जो कि अपरिवर्तित होकर वर्ष 2005 – 06 के अनुरूप ही है) एवं इस राशि की **0.50 प्रतिशत (आधा प्रतिशत)** राशि बतौर **नवीनीकरण आवेदन शुल्क**, जमा करवा कर **चालान/ड्राफ्ट**, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
3. **निर्धारित समय तक** एवं **निर्धारित राशि जमा कराये बिना** प्रस्तुत आवेदन, **स्वीकार्य नहीं होंगे ।**

अतः भारत निर्मित **विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ** (कम्पोजिट दुकानों को छोडकर) अनुज्ञाधारियों को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि वह अपने **अनुज्ञापत्र का वर्ष 2006 – 07 के लिये नवीनीकरण कराने के इच्छुक हो तो उपरोक्त विवरण अनुसार निर्धारित राशि जमा करवा कर निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर दें ।**

(सी. पी. व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर